न्याया. श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

सा‍मान्य रीवा
जिला सतना

COURT FEE — INDIA — TEN RUPEES

निग./3356/II/15

ददुवा पिता रामाधीन कोल उम्र 80 वर्ष साकिन रमपुरवा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म.प्र.............................................निगरानीकर्ता

बनाम

1) खेलउना पिता छोटा कोल उम्र 50 वर्ष साकिन रमपुरवा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म.प्र.।

2) शासन म0प्र0...................................................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त उचेहरा, जिला सतना के राजस्व प्रकरण क्र. 75ए12/2013-14 आदेश 14/07/2014 नक्शा तरमीम के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की निगरानी हस्बजैल हैं।

यह कि निगरानी का संक्षेप इस प्रकार है :-

1) यह कि ग्राम कोठी की आ.नं. 10/12 अर्सा पूर्व म0प्र0 शासन की भूमि थी, जिसे म0प्र0 शासन द्वारा उक्त वर्णित आराजी का निगरानीकर्ता, गैर निगरानीकर्ता क. 01 के मध्य भूमि बंटन गैर निगरानीकर्ता क्र 02 के द्वारा भूमि बंटन सन् 1972-73 में किये।

2) यह कि गैरनिगरानीकर्ता क. 02 द्वारा निगरानीकर्ता को आ.नं. 10/12 रकवा 1.619है0 का बंटन और मुताबिक नक्शा आराजी में बंटन कब्जा दखल कृषि करने हेतु दी गई।

3) यह कि जबसे निगरानीकर्ता आ.नं. 10/12 में बटन बटवारा के आधार पर समतलीकरण मेड़ बंधान, सिंचाई साधन बनाकर बटन बटवारा के मुताबिक 1972-73 से चालू वर्ष 2015-16 तक मौके काबिज-दखील चले आ

क्रमशः 2 पर

निशा.
दुवा कोल

प्रा., एन. शर्मा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
...
14.9.15

6992
क्रमांक
पंजीबद्ध
दिनांक 5.10.15
5-10-15

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3356/11/15 ....... जिला सतना

य दु आ     रेवलउना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-01-16 | प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस०एन० शर्मा को सुना गया।<br><br>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया।<br><br>अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक रिवकठना पुत्र छोटा कोल द्वारा ग्राम कोठी की भूमि सर्वे क्रमांक 10/14 रकबा 1.264 हे० के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 23-6-14 को उक्त भूमि का सीमांकन किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र०क्र० 75/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13-7-14 से सीमांकन की पुष्टि की गई है। आवेदक द्वारा खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार आवेदक भूमि सर्वे क्रमांक 10/12 की भूमि स्वामी है जिससे यह तो स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकित भूमि का सरहदी काश्तकार है। सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी कर सूचना | |

[कृ. प. उ.

R-3356/11/15 सतत्

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| ११३४ | खेलुआ | |
| | नहीं दी गई है। सूचना पत्र में आवेदक के न तो हस्ताक्षर है और न ही उसमें उसका नाम है। इसी प्रकार स्थल पंचनामा दिनांक 23.6.14 में भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त सीमांकन के संबंध में आवेदक को सूचना न दी जाकर उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया जाना परिलक्षित हो रहा है। सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23-6-14 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 80 की बन्दोबस्ती मेढ़ को सीमांकन का मुस्तकिल सीमाचिन्ह मान कर सीमांकन कार्यवाही की गई है जो उचित नहीं है क्योंकि सर्वे क्रमांकों की मेंढ़ जुताई आदि के कार्य के समय घटती बढ़ती रहती है जिन्हे सीमांकन कार्यवाही हेतु स्थाई सीमाचिन्ह नहीं माना जा सकता। इस प्रकार सीमांकन की कार्यवाही पूर्णतः दोषपूर्ण है। | |
| | अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक के प्र०क० 75/अ-12/13-14 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 14-7-14 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में पटवारी अभिलेख के आधार पर समस्त सरहदी काश्तकारों को तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उन्हें सूचना देकर उभयपक्ष की उपस्थिति में स्थाई बन्दोबस्ती सीमाचिन्ह | |
| 5-1-16 | | |

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3356/I/15 ........ जिला सतना

| स्थान तथा दिनांक | पटुआ कार्यवाही तथा आदेश रोशनआरा | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | जैसे, ग्राम सीमा का गुनारा, नक्शा, पुराना बन्दोबस्ती कक्षा आदि को सीमाचिन्ह निर्धारित कर पुनः तीन माह में सीमांकन की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रिकार्ड हो।<br><br>सदस्य 5.1.16 | |